

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-6/9711/2019-20/

दिनांक:-02.7.2019

प्रधानाचार्य,  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,  
डाईट-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अतिरिक्त राशि आवंटन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग पत्र के क्रम में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है।


मांग संख्या-24, लेखामद 2202-80-003-03-00 केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि


| क्र.स. | ऑफिस आईडी | डाईट का नाम       | 03-यात्रा व्यय |        | 04-चिकित्सा व्यय |
|--------|-----------|-------------------|----------------|--------|------------------|
|        |           |                   | CA             | SF     | CA               |
| 1.     | 1547      | गोनेर (जयपुर)     | 300000         | 200000 | 0                |
| 2.     | 1551      | भरतपुर            | 20000          | 10000  | 0                |
| 3.     | 1550      | अलवर              | 50000          | 0      | 0                |
| 4.     | 1527      | बीकानेर           | 30000          | 0      | 0                |
| 5.     | 1539      | शाहपुरा (भीलवाडा) | 10000          | 20000  | 20000            |
| योग    |           |                   | 410000         | 230000 | 20000            |

आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार किया जावे। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/ 23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आये-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।  
संलग्न-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. सहायक लेखाधिकारी-योजना/अंकमिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य लेखाधिकारी,  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

  
मुख्य लेखाधिकारी

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-6/9711/2019-20/


दिनांक:-03-7-2019

प्रधानाचार्य,  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,  
डाईट-गोनेर (जयपुर)

विषय:-03-यात्रा व्यय में आवंटित बजट भुगतान करने से पहले बिलों की नियमानुसार जांच करने बाबत।  
प्रसंग:-आपका पत्रांक 123/17.06.2019 के द्वारा

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक सम दिनांक 02.7.2019 के द्वारा 03-यात्रा व्यय में केन्द्रीय सहायता व राज्य निधि में कुल 500000/- राशि रूपये पांच लाख का बजट आवंटन किया गया है। यात्रा व्यय की मूल प्रतिया लौटाकर निर्देशित किया जाता है कि आवंटित बजट में से भुगतान करने से पूर्व यात्रा बिलों की नियमानुसार देयता की जांच कार्यालय में पदस्थापित लेखाकार/सहाय लेखाधिकारी/लेखाधिकारी से करवाकर ही बिलों का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

नोट:- 29-प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय में उक्त मद में SCERT-उदयपुर से संबंधित मांग की जाये।

  
मुख्य लेखाधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर